

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद कानपुर देहात
(खनिज अनुभाग)

पत्र सं० 05 / उपखनिज-का०दे०-खनन क्षेत्र बिलासपुर कछार / 2020 दिनांक जनवरी 01, 2021

संशोधन-पत्र

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी०एस०आर०) के पृष्ठ सं० 11 पर बनी सारिणी के क्रम संख्या 10 पर अंकित तहसील सिकन्दरा के साधारण बालू खनन क्षेत्र बिलासपुर कछार गाटा सं० 58 रकवा 37.09 हे० अंकित हैं। निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 16.03.2019 को उक्त खनन क्षेत्र बिलासपुर कछार गाटा सं० 58 रकवा 8.275 हे० कर दिया गया है।

अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी०एस०आर०) के पृष्ठ सं० 11 पर बनी सारिणी के क्रम संख्या 10 पर अंकित तहसील सिकन्दरा के साधारण बालू खनन क्षेत्र बिलासपुर कछार गाटा सं० 58 रकवा 37.09 हे० के स्थान पर बिलासपुर कछार गाटा सं० 58 रकवा 8.275 हे० पढ़ा जाये।

(डा० दिनेश चन्द्र)
जिला अधिकारी
कानपुर देहात

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—उप जिलाधिकारी, सिकन्दरा।
- 2—समस्त तहसीलदार जनपद कानपुर देहात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 3—जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधन पत्र को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 4—नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, कानपुर देहात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

01/01/2021
जिला अधिकारी
कानपुर देहात